

जापकारा एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

72  
23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी-  
गण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए  
जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी  
बार शक शक कर आवाजें दिलायी जाने के  
बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक  
तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया  
जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर निर्णय पृथक् से लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल  
सुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला बालवाड़ा



र व  
काम  
की  
जायी

न्यायालय अधीन आधिकारी, माण्डल जिला भीलवाडा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जोनगर (आर0ए0एस0)

दिनांक- 194/22 प्रा0पत्र

बहु ज0 घन्ना ङाट निवासी- जोरावरपुरा तहसील- गांज

--प्राथी

बनाम

अमरचन्द्र जोशी ङावरमन शर्मा निवासी- जोरावरपुरा तहसील- गांज  
लेखक ज0 श्री भवारमन शर्मा निवासी- जोरावरपुरा तहसील- गांज  
किशन जोशी बहु ङाट निवासी- जोरावरपुरा तहसील- गांज  
प्रधान राज्य जारिए तहसीलदार सा0 गांज तहसील- गांज

-दिपक्षोगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

अंग से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
नामः जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उक्तके  
खाते की आराजी नं 1333/1227, 1334/1227 कुल किता 02 रकबा 1.0749  
है। घादमस्त भूमि के विभागीय के मध्य आराजी मुतदायिया के सोमा विन्ह नही होने से आये  
सबधी दिवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की  
के आदेश प्रदान कराये जावे।

पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को  
से यह बात सिद्ध है कि घादमस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे कारत की होने से पत्थरगढी कराने का  
है। वैसे भी इस प्रकार के आवेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते  
के की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर मां जोरावरपुरा पटवार  
जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उक्तके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1333/1227, 1334/1227  
की 02 रकबा 1.0749 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी  
है। पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख  
कागोर की 500/- रुपये/- कमिश्नर कीस पर कमिश्नर फीस जमा होने  
परान की मौजूदगी में मौक य नरुजे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार  
पत्थरगढी की जावे। फरसल खर्च होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी